

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार विभाग

आदेश संख्या: प्रशा.सु.वि.प्र.सं. 100/2011

आदेश

जगपुर दिनांक

18.3.2011

अभ्युक्ति जाति/अभ्युक्ति जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शकारपत्र/फर्जी एवं अनधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारों नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक मुद्दों का साम ले रहे हैं, जिससे वास्तविक अभ्युक्ति जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति क्षतिग्रस्त रह जाते हैं। इस संबंध में भावनीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने के निर्णय दिये हैं। अतः ऐसे शकारपत्र/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिए निम्नानुसार राज्य स्तरीय छानबीन समिति (State Level Scrutiny Committee) का गठन किया जाता है-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, | अध्यक्ष |
| 2. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,    | सदस्य   |
| 3. शासन सचिव, जनजातीय विकास विभाग                       | सदस्य   |

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के कार्य (Functions/Duties of the State Level Scrutiny Committee)-

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निम्न कार्य होंगे-

1. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में समय समय पर नीति निर्धारित करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
2. शकारपत्र प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
3. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति को विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
4. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
5. गलत प्रमाणपत्र के मामले में नियोक्ता/शैक्षणिक संस्थानों के संस्था प्रबंधन को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।
6. विश्लेषण समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाली अन्य प्रवृत्तियां।
7. शकारपत्र जाति प्रमाणपत्र के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करके अन्तिम निर्णय करना।
8. विजिलेन्स सैल के सतर्कता अधिकारी को संबंधित जगह पर जांच करने की सूचना देना और उसका ब्यौरा प्राप्त करना।
9. विजिलेन्स सैल के कामकाज/कर्मचारियों की नियुक्ति आदि करना।

राज्य स्तरीय छानबीन समिति की कार्यविधि (Process of State Level Scrutiny Committee)

राज्य स्तरीय छानबीन समिति की कार्यविधि (Process of State Level Scrutiny Committee)

1. प्राथमिक अतिरिक्त/द्वितीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए सकारण/फर्जी एवं अनुचित रूप से जारी जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन करके उसे यथावत रखने या रद्द करने की संपूर्ण शक्तियाँ समिति को होंगी।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी रहेगा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के प्राधान्य के तहत की गई कार्यवाही के अधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय ऐसे प्रकरणों का निरंतरण जहां तक संभव हो यथाशीघ्र करेगा जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील नहीं की जा सकती। परन्तु संविधान के अनुच्छेद-136 के अधीन प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती।

3. सकारण प्रमाणपत्रों के मामले में सक्षम का उचित मौका देना होगा।

4. बंधाव पत्रों शमय-मर्यादा में बढ़ोतरी की जा सकती है।

5. देश किन्ने गये आधार/प्रमाण अमान्य करना।

6. भ्रष्ट प्रमाणपत्र धारण करने के मामले को नैतिक अपराध मानकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को धुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।

7. राज्यों के लिये कानूनी शिकायत दर्ज कराना।


जो प्रमाण पत्र छानबीन समिति के समक्ष छानबीन हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनका निरंतरण छानबीन समिति यथासंभव शीघ्र किन्तु अधिकतम दो माह की अवधि में करेगी। यदि किसी मामले का निपटारा दो माह की अवधि में नहीं हो सकता हो तो छानबीन समिति उक्त अवधि को कारण अभिलेखित करते हुए अधिकतम छः माह तक और बढ़ा सकती।

जाति प्रमाण पत्रों के सुनिश्चितीकरण का एक-पत्रात्मक

जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसका संचालन जिस प्रकार से सकारण प्रकरणों में दर्ज किया जाता है, उसी तरह से जाति प्रमाण पत्रों को भी दर्ज किया जाना चाहिये, जिस कारण में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये, वह अच्छी किरण बवं लेभिनेटेड हो। जाति प्रमाण पत्र की कम्प्यूटर फाइल, अनुक्रमिक, वर्णन, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, मुद्रा, तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग सार्वजनिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से।

  
राज्य स्तरीय समिति

(33)

SH

संख्या: गठ(10)प.सू.वि / अमु-3/2011

जयपुर दिनांक

प्रतिष्ठित जिला को प्रशासनिक विभाग के परामर्श से सूचनाओं एवं आदेशों-संकेतों हेतु प्रेषित है

1. प्रकीर्णक मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य सरकार, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, सार्वजनिक न्याय / राज्य मन्त्रीमण्डल राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. सार्वजनिक प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. सार्वजनिक विभागसूचक, राजस्थान सरकार जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. सार्वजनिक सभागीय आयुक्त
13. सार्वजनिक जिला कलेक्टर
14. सार्वजनिक जिला पुलिस अधीक्षक
15. सचिव, सार्वजनिक आयोग / बोर्ड
16. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परीक्षा एवं सजाय कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

नोट - सचिव में सभिति से संबंधित पत्र व्यवहार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से करें।

  
अनुभागाधिकारी